


# //आईपी यूनिवर्सिटी की नई गाइड लाइंस एमटेक और एमएड कोर्सेज में बढ़ गए हैं ऑप्शन्स

प्रमुख संवाददाता || द्वारका

गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ (आईपी) यूनिवर्सिटी में एमटेक व एमएड कोर्सेज में इस साल स्टूडेंट्स को ज्यादा ऑप्शन मिलने जा रहे हैं। फिलहाल ये कोर्स यूनिवर्सिटी स्कूल में चलते हैं। यूनिवर्सिटी की नई पॉलिसी के तहत आईपी से जुड़े सेल्फ फाइनैसिंग इंस्टिट्यूट्स में भी ये सभी पीजी कोर्स शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रैजुएट प्रोग्राम के लिए गाइड लाइंस तैयार की है, जिन्हें पूरी तरह मानने वाले इंस्टिट्यूट्स को ही कोर्स शुरू करने की इजाजत मिल सकेगी।

■ जॉइंट रजिस्ट्रार (ऐफीलिएशन) नितिन मलिक की ओर से जारी यूनिवर्सिटी के सर्कुलर के मुताबिक, सेशन 2011-12 में सेल्फ फाइनैसिंग इंस्टिट्यूट्स में एमटेक, एमएड और एम. फार्मा कोर्स शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए यूनिवर्सिटी की गाइड लाइंस का पालन किया जाना जरूरी है। जो इंस्टिट्यूट ये कोर्स शुरू करना चाहते हैं, वे 11 मई तक यूनिवर्सिटी को अपनी ऐप्लीकेशन दे सकते हैं। वाइस चांसलर प्रो. दिलीप के. बंदोपाध्याय ने बताया कि यूनिवर्सिटी से जुड़े प्राइवेट इंस्टिट्यूट्स की ओर से लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि वे पोस्ट ग्रैजुएशन लेवल के कोर्सेज शुरू करना चाहते हैं।

## विस्तार....



- ▶ अब तक ये कोर्स सिर्फ यूनिवर्सिटी स्कूल में चलते हैं
- ▶ अब सेल्फ फाइनैसिंग इंस्टिट्यूट्स में भी चलेंगे ये कोर्स
- ▶ इंस्टिट्यूट्स 11 मई तक कोर्स के लिए कर सकते हैं अप्लाई
- ▶ पर यूनिवर्सिटी की गाइड लाइंस को पूरा करना होगा जरूरी
- ▶ इस साल से एम फार्मा कोर्स की यूनिवर्सिटी में होगी एंट्री

उन्होंने बताया कि इंस्टिट्यूट को एआईसीटीई व एनसीटीई में अप्लाई करने के साथ ही, यूनिवर्सिटी के पास भी ऐप्लीकेशन भेजनी होगी। यूनिवर्सिटी अपने कमेंट के साथ इन वैधानिक संस्थाओं को जवाब भेज देगी और उसके बाद इंस्टिट्यूट को कोर्स शुरू करने की इजाजत मिलने पर फैसला होगा।

वीसी के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ने अपनी जो गाइड लाइंस तैयार की है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया है। मसलन, किसी इंस्टिट्यूट में इन कोर्सेज को चलाने के लिए कितनी अडिशनल लैब की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा टीचर्स की फैकल्टी किस तरह की होगी। प्रफेसर, असोसिएट प्रफेसर, असिस्टेंट प्रफेसर कितने होंगे।

एआईसीटीई के नियमों के मुताबिक ही इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। पोस्ट ग्रैजुएशन कोर्सेज में एडमिशन पाने वाले स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर फैसिलिटी किस तरह की होनी चाहिए? टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, इन सब बातों का जिक्र गाइड लाइंस में किया गया है। वीसी ने कहा कि

जो इंस्टिट्यूट जरूरी शर्तों को पूरा करेगा, उसे ही कोर्स शुरू करने की इजाजत मिल जाएगी। एम. फार्मा कोर्स यूनिवर्सिटी के स्कूल में भी नहीं है, यानी एम. फार्मा कोर्स इस साल से यूनिवर्सिटी के प्राइवेट इंस्टिट्यूट में एंट्री कर पाएगा।